मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषयः- सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर देय स्वत्वों का सामयिक निराकरण ।

-◆-

शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति तिथि पर देय स्वत्वों के भुगतान सुनिश्चित किए जाने संबंधी वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2015/नियम/चार दिनांक 29-6-2015 के पालन में शिथिलता की स्थिति ध्यान में लाई गई है ।

2/ अनुरोध है कि उपर्युक्त परिपत्र में वर्णित निम्नांकित निर्देशों को अधीनस्थों के संज्ञान में लाकर कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेः-

(1) म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 57 व 58 के प्रावधान अनुसार पेंशन/ग्रेच्युटी प्रकरणों की तैयारी शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति तिथि (जो पूर्व निर्धारित रहती है) से 24 माह पूर्व की जानी चाहिए । इस तिथि तक सेवा सत्यापन में यदि कोई अपूर्णता है तब नियम 59 के अंतर्गत ऐसी सेवावधि को सत्यापित मान्य की जावे ।

(2) यदि किसी शासकीय सेवक की पेंशन/ग्रेच्युटी प्रकरण सेवानिवृत्ति के 15 दिवस पूर्व तक निराकृत नहीं हो पाता है तब पेंशन नियम 74 के अंतर्गत पूर्वानुमानित अथवा अंतरिम पेंशन/उपादान हेतु सेवानिवृत्ति तिथि को भुगतान आदेश जारी किया जावे ।

(3) न्यायालयीन कार्यवाही/विभागीय जांच के प्रकरण यथासंभव समय सीमा में निराकृत किये जायें। शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति तिथि तक न्यायालयीन कार्यवाही/विभागीय जांच लंबित होने की स्थिति में पेंशन नियम 64 के अनुसार सेवानिवृत्ति तिथि को अनन्तिम पेंशन अनिवार्य रूप से स्वीकृत की जाये ।

(4) शासकीय सेवक के विरूद्ध शासकीय वसूली के प्रकरणों में पेंशन नियम 65 के अनुसार यथासंभव एक वर्ष पूर्व निराकरण किया जाकर वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये ।

(5) शासकीय सेवक के वेतन निर्धारण/सेवा सत्यापन/अवकाश स्वीकृति संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 18-10/2010/ई/चार, दिनांक 1-11-2010 की कंडिका 2(II) के अनुसार सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व पूर्ण कर ली जाए । इसी अनुक्रम में पेंशन नियम 29 में दिये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए ।

(6) शासकीय सेवक की मूल सेवापुस्तिका गुम हो जाने पर मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक जी-25/26/सी/चार, दिनांक 1-7-1995 के अनुसार द्वितीय प्रति बनायी जाकर सक्षम प्राधिकारी से संबंधित शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति पूर्व अनुमोदित/मान्यता प्राप्त की जाए ।

(7) अमांग/न जांच प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक बी-25/26/97/पी.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 12-12-1997 में दिये निर्देश अनुसार सेवानिवृत्ति तिथि तक उपलब्ध कराना विभाग प्रमुख का दायित्व है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाए । सेवानिवृत्ति के एक माह पश्चात तक उक्त प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने पर यह मानकर पेंशन प्रकरण का निराकरण/भुगतान किया जावे कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के विरूद्ध कोई मांग/जांच नहीं है ।

(8) सामान्य भविष्य निधि नियम 10(1) एवं मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1774/2121/2000/सी/चार, दिनांक 25-8-2000 में उल्लेखित मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक जी-25/1/2000/सी/चार, दिनांक 11-4-2000 की टिप्पणी -(1) में दिये गये निर्देशानुसार शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि का कटौत्रा बन्द होते ही अंतिम भुगतान का प्रकरण तैयार कर महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित किया जाए।

(9) विभिन्न बीमा योजनाओं के अंतिम भुगतान के प्रकरण, अंतिम कटौत्रे के तुरन्त पश्चात् तैयार कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत किये जाएं ।

2/ उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला स्तर पर प्रथम श्रेणी विभागीय अधिकारी को दायित्व सौंपा जाए एवं प्रतिवर्ष 01 जुलाई एवं 31 दिसम्बर को पेंशन प्रकरणों की समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर किए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें । शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/समय सारणी का कृपया पालन सुनिश्चित कराया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुखवीर सिंह)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-3/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपिः-

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
11. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
18. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
19. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
20. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
23. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
25. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
28. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
29. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
30. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
31. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
32. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

http://www.finance.mp.gov.in